भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 123
गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 / 29 आषाढ़, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मध्य-पूर्व देशों की यात्रा के विमान किराए

123 एडवोकेट ए.एम.आरिफः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि हाल के समय में विशेषकर छुट्टियों त्योहारों के मौसम में भारत से मध्य-पूर्व के देशों के लिए विमान किरायों में कई गुना वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने व्यस्ततम मौसमों के दौरान विमान किरायों में कमी करने के संबंध में विमान कंपनियों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार को खाड़ी देशों के लिए उचित दरों पर चार्टर्ड उड़ानों के प्रचालन की अनुमति प्राप्त करने के लिए केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विमान किरायों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई व्यापक विधान लाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख) हाल के दिनों में, सरकार को माननीय संसद सदस्यों तथा केरल सरकार से हवाई किराये के संबंध में कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

इस क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में एयरलाइनों और अन्य स्टेकधारकों के साथ बातचीत एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, हवाई किराए बाज़ार आधारित होते हैं और सरकार द्वारा न तो इसे विनियमित किया जाता है और न ही निर्धारित। एयरलाइनें, प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, मुनासिब लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत उचित टैरिफ निर्धारित कर सकती हैं। तथापि एयरलाइनें तब तक वायुयान नियम,

1937 के नियामक प्रावधानों की अनुपालक मानी जाती हैं, जब तक उनके द्वारा लिया जाने वाला किराया उनकी वेबसाइट पर निर्धारित और प्रदर्शित किराए से अधिक नहीं है।

(ग) हाल के दिनों में, सरकार को केरल के मुख्यमंत्री सहित अन्य संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें खाड़ी देशों से भारत के लिए अनिवासी केरलवासियों के परिवहन के लिए उड़ानें प्रचालित हेतु चार्टर विमानों के लिए आवश्यक अनुमोदन का अनुरोध किया गया है।

यदि और जब भी प्राप्त हो, चार्टर उड़ानों को आमतौर पर इंक्लूसिव टूर पैकेज (आईटीपी) दिशानिर्देशों के तहत मंजूरी दी जाती है। दिनांक 13.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय के पास भारत-खाड़ी क्षेत्र पर चार्टर विमानों के प्रचालन हेतु कोई विशेष अनुरोध लंबित नहीं है।

(घ) और (ड.) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के बाद, भारतीय घरेलू विमानन बाजार को विनियमित कर दिया गया था। एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) का अनुपालन करते हुए, अपनी सेवाएँ देने और प्रचालन हेतु, किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करके, किसी भी प्रकार के विमान के साथ अपनी क्षमता निर्धारित कर सकती हैं।

****